संस्थागत वित्त संचालनालय
मध्यप्रदेश

Website: www.dif.mp.gov.in

विन्ध्याचल भवन
"ग" खण्ड, प्रथम तल
भोपाल - 462004 (म.प्र.)

☎ - (0755) 2551199, 2553108
फैक्स - (0755) 2551387
ई-मेल : difbho@mp.gov.in

महत्वपूर्ण

कमांक प्राविवि/कृषि/39/केसीसी/संविसं/2007/82
भोपाल दिनांक 10 जनवरी 2012

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय:- **प्रदेश के सभी पात्र किसानों को किसान केडिट कार्ड उपलब्ध कराने बाबत्।**

आप विदित ही है कि शासन की प्रथम प्राथमिकता कृषकों को किसान केडिट कार्ड जारी करना है जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और उनकी सम्पूर्ण केडिट आवश्यकताओं की पूर्ति सुलभ हो। किसानों को किसान केडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने की मुहिम मध्यप्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 1999 से कियान्वित है। समस्त पात्र कृषकों तथा सेवाभूमि वाले कोटवारों को शतप्रतिशत किसान केडिट कार्ड जारी करने के निर्देश जारी किये है। सभी के समग्र प्रयासों के बावजूद भी प्रदेश में अभी तक समस्त पात्र किसानों को किसान केडिट कार्ड जारी किये जाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है।

अपेक्षित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करने के उद्येश्य से भारत सरकार ने समस्त पात्र किसानों को किसान केडिट कार्ड जारी करने हेतु विशेष अभियान चालाया जा कर कार्य सम्पादित किये जाने के निर्देश दिये है। राज्य शासन का मानना है कि शतप्रतिशत किसानों को किसान केडिट कार्ड जारी किये जाने के लक्ष्य की पूर्ति तभी सम्भव हो सकती है जब **खेती को लाभ का धंधा** बनाया जाय। इस उद्येश्य की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जिलाध्यक्ष के नैतृत्व में निम्नानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जाना अपेक्षित है:-

1. राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग एवं वाणिज्यिक बैकों द्वारा विशेष संयुक्त अभियान प्रारम्भ किया जाय।
2. संयुक्त विशेष अभियान में किसान केडिट कार्ड वितरण के साथ-साथ पात्र कृषकों को चिन्हित करने की कार्यवाही, पटवारियों के अभिलेख, तथा स्थल पर सर्वे एवं राजस्व व बैक्स के अभिलेखों का परस्पर मिलान कर कृषकों के पहचान का कार्य किया जाया।
3. योजना के सम्बन्ध में विशेष अभियान चलाकर सभी तहसीलदारों से ग्राम-वार तथा तहसील-वार कुल खातेदारों की संख्या ज्ञात की जाय।

उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु :-

1. जिला स्तर पर राजस्व विभाग द्वारा सकिया सहयोग दिया जाय।
2. योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।
3. राजस्व अधिकारियों, पटवारियों तथा बैक अधिकारियों, कर्गचारियों की संयुक्त बैठकों का आयोजन कर आपसी समन्वय स्थापित किया जाय तथा शत प्रतिशत किसान केडिट कार्ड वितरण का लक्ष्य प्राप्त करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाय।
4. शेष रहे किसानों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करने हेतु बैक एवं राजस्व विभाग के अभिलेखों का मिलान कर सूचियों का परस्पर आदान प्रदान किया जाय।

5. बैंक एवं राजस्व विभाग की सूचियों का आपस में मिलान कर उन्हें अद्यतन करें तथा स्थल पर सर्वे किया जाकर, शेष रहे पात्र किसान परिवारों को सूचीबद्ध किया जाय।
6. शेष रहे किसानों से सहकारिता व राजस्व विभाग के मैदानी कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिशः सम्पर्क स्थापित कर किसान केडिट कार्ड जारी कराना सुनिश्चित किया जाय।
7. ग्राम पंचायत तथा ग्राम पंचायत के सचिव से इस कार्य में पर्याप्त सहयोग लिया जाय।
8. ग्राम पंचायतों में किसान केडिट कार्ड के आवेदनों को संकलित करने की व्यवस्था की जाय एवं इस व्यावस्था को पेम्फ्लेट्स, हेन्डबिल्स के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत व ग्रामों में व्यापक प्रचारा-प्रसार किया जाय।
9. किसानों को आवेदन की पूर्णता, आवश्यक दस्तावेज़ों की उपलब्धता व भू-अभिलेखों के अद्यतनीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
10. किसानों द्वारा किसान केडिट कार्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर बैंकों के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति एवं वितरण सुनिश्चित किया जाय।
11. सतत् निगरानी, पर्यवेक्षण, समीक्षा एवं आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन दिया जाय।
12. प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं के समुचित समाधान व मार्गदर्शन देने की व्यवस्था की जाय।

ज्ञातव्य हो कि उक्त व्यवस्था का सफ़लतापूर्वक कियान्वयन देवास ज़िले में किया जा चुका है जिसमें 61,199 अतिरिक्त कार्ड वितरित किये गये है।

(अशोक शाह)
आयुक्त
संस्थागत वित्त

कमांक प्राविवि/कृषि/39/केसीसी/संविसं/2007/ 83 **भोपाल दिनांक 10 जनवरी 2012**

प्रतिलिपि, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित:-

1. समस्त संभागीय आयुक्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल
3. मुख्य महा प्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भोपाल
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. प्रदेश में कार्यरत समस्त समस्त सार्वजनिक बैंक/निजी व्यवसायी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के राज्य स्तरीय प्रमुख, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त **अगणी ज़िला प्रबन्धक**, मध्यप्रदेश
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक), भोपाल

आयुक्त
संस्थागत वित्त